रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 462] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 1, 1977/कार्तिक 10, 1899

No. 462] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 1977/KARTIKA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)
ORDER

New Delhi, the 1st *November* 1977

S.O. 741(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 512(E), dated the 30th July, 1976, the management of the industrial undertaking known as Messrs National Company Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years upto and inclusive of the 29th July, 1981,

And whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry, namely, Jute Industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances or property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking or the company owning the said industrial undertaking is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[No F. 3/7/76-CUC]
G. N. MEHRA, Jt. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1977

का० आ० 741 (अ).—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 512 (ई) तारीख 30 जुलाई, 1976 द्वारा नेशनल कम्पानी लिमिटेड, कलकत्ता, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क के अधीन 29 जुलाई, 1981 तक, जिसमे वह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिये ग्रहण कर लिया गया है ,

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्ध में, अनुसूचित उद्योग, अर्थात् जूट उद्योग, मे उत्पादन के परिणाम मे कमी को रोकने की दृष्टि से, जनसाधारण के हितो मे ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खण्ड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि इस आदेश के जारी होने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओ, सम्पत्ति के हस्तातरण पत्रो, करारो, व्यवस्थापनो, पचाटो, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितो का (उन से भिन्न, जो बैंको और वित्तीय सस्थाओ के प्रतिभूत दायित्वो से सम्बन्धित है) प्रवर्तन, जिनका उक्त औद्योगिक उपकरण या उक्त औद्योगिक उपकरण का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपकरण या कंपनी को लागू हों, एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेष अधिकार, बाध्यताए और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलबित रहेंगे ।

[सं० फा० 3/7/76-सी०यू०सी०]

जी०एन० मेहरा, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977